रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] नई दिल्ली, बुधवार, जून 6, 1990/ज्येष्ठ 16, 1912
No. 308] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 6, 1990/JYAISTHA 16, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 1990

का. आ. 461(अ):—प्राधिकरण के विरुद्ध या उसके द्वारा वाद या मुकदमा चलाने, प्रतिरक्षा करने या वापस लेने, किसी दावे पर समझौता करने या वापस लेने और प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से काउन्सेल नियुक्त करने के लिए सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण को शक्तियां प्रदान करने संबंधी भारत के राजपत्र भाग-II में दिनांक 30-4-65 को प्रकाशित अधिसूचना स. एस. ओ. 1601 के क्रम में दिल्ली विकास प्राधिकरण

एतद्द्वारा मुख्य अभियन्ता/आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी और मुख्य लेखा अधिकारी के पदों के अपने सभी अधिकारियों को किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद, रिट याचिका, अपील या अन्य न्यायिक/अर्ध-न्यायिक/कानूनी कार्रवाई करने, प्रतिरक्षा करने, वापस लेने या समझौता करने दि.वि.प्रा. की तरफ से अभिवचन और शपथपत्र आदि पर हस्ताक्षर करने और सत्यापन करने, दि.वि.प्रा. की तरफ से अधिवक्ता/सालीसीटर/अधिवक्ता/मान्यताप्राप्त एजेन्ट नियुक्त करने और दि.वि.प्रा. की तरफ से किसी भी न्यायालय में अथवा अन्य किसी प्राधिकरण के समक्ष अभिकथन देने और सभी न्यायिक/अर्ध-न्यायिक/कानूनी कार्यवाहियों में दि.वि.प्रा. का प्रतिनिधित्व करने के लिए यथाअपेक्षित अन्य सभी कार्यों और मामलों अन्य सभी कृत्य करने के लिए और शक्तियां प्रदान करता है।

[सं. एफ. 2(15) 89-एम.सी/लीगल]

रणवीर सिंह, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 1990

S.O. 461(E).—Furthermore to Notification No. S.O. 1601 dt. 30-4-65, published in the Gazette of India, Part-II, conferring the powers, on the Secretary, Delhi Development Authority, to institute, defend or withdraw suits or proceeding, admit compromise or withdraw any claim made against or by the Authority, and engage counsel for or on behalf of the Authority, Delhi Development Authority hereby delegates further to all its officers of the rank of Chief Engineer|Commissioner|Chief Vigilance Officer and Chief Account Officer, power to institute, defend, withdraw, or compromise any suit, writ petition, appeal or other judicial|quasi-judicial|legal proceedings by|against DDA in any court, tribunal or other Authority, to sign and verify pleadings and affidavits etc. on behalf of DDA, to engage pleaders| solicitors|advocates|recognised agents on behalf of DDA, and to make statement in any court or before any other Authority on behalf of DDA and to do all other acts and things and perform all other functions as may be required for representing DDA in all judicial| quasi-judicial|legal proceedings.

[No. F. 2(15)89-MC|Legal]

RANBIR SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990